

भोपाल दिनांक 4/17
 4-5

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 परिपत्र क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारी को (द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान) में वेतन बैंड रू. 5200-20200+ग्रेड पे रू.2800. के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है :-

स.क्र	कर्मचारी का नाम एवं पद	विभाग में प्रथम नियुक्ति का दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्रीमती माया भूरा अनुरेखक	11.09.1995	11.09.2015
02	श्रीमती डी.के.बास्कर --	10.10.1984	01.04.2006
03	श्री मोहन लाल साहू --	10.10.1984	01.04.2006
03	श्री वासुदेव लोखण्डे	15.03.1983	01.04.2006

सामान्य शर्त-

- समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा -अनु-बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

3/5/17
 (राजीव कुमार सुकलीकर)
 प्रमुख अभियंता
 जल संसाधन विभाग, भोपाल
 भोपाल दिनांक 4-5/2017

पृ.क्रमांक 3323.269/9/12 | 976
 प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग होशंगाबाद ।
- अधीक्षण यंत्री,
- कार्यपालन यंत्री
- निज सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
- संबंधित श्री अनुरेखक द्वारा स.क्र.01
- बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय ।

3/5/17
 अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
 कार्यालय प्रमुख अभियंता